न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 54 / 2017

प्रार्थीः—	बनाम	अप्रार्थीगण :—
1 तेजाराम पुत्र सुजाराम 2 तुलसाराम पुत्र सुजाराम जाति मेघवाल निवासी जाणुन्दा तहसील मारवाड जंक्शन		1 मालाराम पुत्र कुकाराम जाति मेघवाल निवासी जाणुन्दा तहसील मारवाड जंक्शन 2 सरपंच ग्राम पंचायत जाणुन्दा 3 ग्राम पंचायत जाणुन्दा जरिये सरपंच जाणुन्दा

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :—

1. श्री आशुतोष दवे, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री कानाराम सोलंकी, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1

—: निर्णय :—

दिनांक 29.12.2017

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के ग्राम पंचायत जाणुन्दा द्वारा मिसल संख्या .. / .... में पारित प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 05.07.2013 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 75 दिनांक 05.07.2014 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत जाणुन्दा द्वारा बिना मिसल कायम कर जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है, जो आरम्भ से ही शून्य है। अप्रार्थी द्वारा जो बेचाननामे का दस्तावेज प्रस्तुत किया, उसमें अंकित किया कि वादस्थ परिसर अप्रार्थी के पिता ने मोडाराम तथा नेमाजी से खरीद किया, उसमें कोई पडौस अंकित नही है तथा पट्टा संख्या 214 सन् 1939 का महाराजा अमरसिंह के नाम का बना हुआ होना बताया है, इस अनुसार एक बार पट्टा बना दिया गया है, तो दूसरी बार उसका पट्टा जारी नही हो सकता है। पट्टा संख्या 24 के आधार पर रजिस्टर्ड दस्तावेज द्वारा हस्तान्तरण हो सकता है। जैर निगरानी पट्टे में जो पडौस अंकित किये गये है, उसके पूर्व में कांट छांट कर परिवार का मकान अंकित कर मालाराम का निजी निवास अंकित किया गया है तथा पट्टे में मालाराम व चेनाराम [illegible] बाद में अंकित करते हुए बीच में जगह छोड कर वार्डपंचों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा आगे की प्रस्ताव संख्या खाली है। जिसे देखने से ही सम्पूर्ण कार्यवाही फर्जी प्रतीत होती है। बैठक कार्यवाही विवरण में मिसल का अंकन ही नही है। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा पूर्णतः अवैध है। मोडाराम पुत्र नेमाजी का मकान जो रेस्पोडेन्ट द्वारा कथन किया गया है, वह फर्जी है। पट्टा संख्या 75 के पूर्व दिशा में मोडाराम का मकान पडौस अंकित है। इस प्रकार उक्त

अति० जिला कलक्टर, पाली

दस्तावेज जैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित प्रतीत नही होते है। वादस्थ भूमि प्रार्थी की पुश्तैनी है। इसलिये बिना प्रार्थी की सहमति के ग्राम पंचायत को उक्त भूमि का पट्टा जारी करने का अधिकार ही नही है। जहां तक उक्त भूमि के स्वामित्व का प्रश्न है, इस तथ्य को निर्धारित करने के एकमात्र अधिकार सिविल न्यायालय को ही है। अतः अपील स्वीकार करावे एवं जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टे को अपास्त करावे।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि उक्त भूमि अप्रार्थी के पिता कुकाराम द्वारा उक्त पट्टासुदा आवासीय भूमि मोडाराम व पप्पाराम से खरीद की थी तथा खरीद करके अपने दोनो पुत्रों मालाराम व चेनाराम को दी, जिस पर मालाराम व चेनाराम द्वारा अपने अपने मकानात बना दिये तथा अपने नाम से विद्युत कनेक्शन भी ले लिया। ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी के पिताजी की खरीदसुदा भूमि पर कार्यवाही करके अप्रार्थी के पक्ष में पट्टा जारी किया है, यदि पंचायत ने कार्यवाही में कोई कमी रखी है, तो उसके लिये अप्रार्थी को जिम्मेदार नही ठहराया जा सकता है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी एवं ग्राम पंचायत के विरूद्ध पुलिस थाना मारवाड जंक्शन में दिनांक 30.08.2016 को मुकद्दमा दर्ज करवाया, जिसे पुलिस द्वारा झूठा मानते हुए न्यायालय में अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। यदि पट्टा गलत होता, तो निश्चय ही पुलिस द्वारा सन्दर्भित धाराओं के तहत कार्यवाही की जाती है। ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि सम्मत है। अतः निगरानी खारिज करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत जाणुन्दा द्वारा मिसल संख्या ../.......... में पारित प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 05.07.2013 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 75 दिनांक 05.07.2014 के विरूद्ध पेश की गई है। ग्राम पंचायत से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है, उस अनुसार सम्बन्धित मूल पट्टा तथा पंचायत प्रति ग्राम पंचायत रेकर्ड में उपलब्ध नही है। अप्रार्थी के नाम को आधार मानते हुए बैठक कार्यवाही विवरण से मिलान भी किया जाता है, तो इसका इन्द्राज मात्र बैठक दिनांक 05.01.2013 में ही इन्द्राज है एवं जो इन्द्राजात पाये गये है, वे भी अनियमित है। एक ही प्रस्ताव को पृथक पृथक दिनांक अंकित करते हुए पारित किया गया है, जिसे किसी भी स्थिति में नियमित नही माना जा सकता है तथा जिस आज्ञा का सन्दर्भ अंकित करते हुए जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है, उस दिनांक को इस मिसल का इन्द्राज ही नही है। इससे यह प्रकट अवश्य हो जाता है कि जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जो पट्टा जारी किया गया है, वह न केवल अनियमिति अपितु विधि विरूद्ध भी पाया जाता है। जिसे किसी भी स्थिति में कायम रखना न्यायोचित नही है। अब प्रश्न यह उद्‌भूत होता है कि मिसल संख्या का इन्द्राज पट्टे पर होने के बावजूद भी मिसल एवं पट्टे की पंचायत प्रति ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्ध न होना, न केवल भारी अनियमितता बल्कि राजकीय दस्तावेजात से खिलवाड किये जाने की श्रेणी में परिलक्षित होता है। जिसकी विस्तृत जांच करवाई जानी आवश्यक प्रतीत होती है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत जाणुन्दा द्वारा मिसल संख्या ../.......... में पारित प्रस्ताव संख्या 3

प्राव० जिला कलेक्टर, पाली

दिनांक 05.07.2013 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 75 दिनांक 05.07.2014 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण इन निर्देशों के साथ ग्राम पंचायत जाणुन्दा को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें, साथ ही मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् पाली, जैर निगरानी मिसल एवं सम्बन्धित दस्तावेज ग्राम पंचायत रेकर्ड से अनुपलब्ध होने के सम्बन्ध में आवश्यक जांच करवावे एवं दोषी के विरूद्ध अनुशासनात्मक एवं प्राथमिकी दर्ज करवाने की कार्यवाही करावे। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड लौटाया जावे, साथ ही निर्णय की प्रमाणित प्रति मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, पाली को भिजवाई जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 29.12.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर, पाली